राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 57/2022 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री जाकिर हुसेन पुत्र सलीम खां कायमखानी निवासी कायमखानी मोहल्ला, बनेडा जिला भीलवाड़ा। **बनाम**	लोक सूचना अधिकारी व कोषाधिकारी, भीलवाड़ा
––अपीलार्थी	––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 27.07.2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 10.06.2022 को निदेशालय कोष एवं लेख विभाग से प्राप्त हुई जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत एक आवेदन दिनांक 25.04.2022 को उप कोषाधिकारी, बनेडा को प्रेषित किया गया। उक्त आवेदन के बिन्दु संख्या 4 ए की सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, भीलवाड़ा से संबंधित होने से उक्त आवेदन अधिनियम की धारा 6(3) के तहत उप कोषाधिकारी, बनेडा द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, भीलवाड़ा को बिन्दु संख्या 4 ए की सूचना उपलब्ध कराने हेतु अंतरित किया गया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 22.06.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी व कोषाधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा उनके पत्रांक 13073 दिनांक 01.07.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं :–

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन के बिन्दु संख्या 4 ए से चाही गयी सूचना/जवाब कार्यालय कोषाधिकारी, भीलवाड़ा के पत्रांक 13070 दिनांक 19.07.2022 से एवं प्रार्थना पत्र के अन्य बिन्दुओं की सूचना/जवाब कार्यालय उपकोषाधिकारी बनेडा के पत्रांक 15 दिनांक 23.05.2022 से अपीलार्थी को जरिये डाक प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 27.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा